उत्तर प्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन अनुभाग

संख्या- 4/2019/176 /तीन-2019-39(1)/2002

लखनऊ:: दिनांक:: 2 अप्रैल, 2019

विज्ञप्ति

विविध

निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट, 1881 (1881 की एक्ट संख्या-26) की धारा-25 द्वारा प्राप्त उन अधिकारों को काम में लाकर, जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या-20/25-56-च्नइ-1, दिनांक 08 जून, 1957 के अनुसार राज्य सरकार काम में ला सकती है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में निर्दिष्ट तिथि को अनुसूची के तृतीय स्तम्भ के तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 तथा 138-निघासन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र (जनपद खीरी) के उप निर्वाचन-2019 में निर्वाचन के प्रयोजन के लिये सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हैं। अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में निर्दिष्ट लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र एवं विधान सभा उप निर्वाचन से संबंधित जिले के कोषागार तथा उप-कोषागार भी इस इंगित तिथि को बन्द रहेंगे।

अनुसूची

| क्र0सं0 | चरण | मतदान का दिनांक | जिलों का नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | **प्रथम** | **दिनांक 11 अप्रैल, 2019 (बृहस्पतिवार)** | सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड, गौतमबुद्ध नगर तथा बुलन्दशहर। |
| 2 | **द्वितीय** | **दिनांक 18 अप्रैल, 2019 (बृहस्पतिवार)** | बिजनौर, अमरोहा, हापुड, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा तथा एटा । |
| 3 | **तृतीय** | **दिनांक 23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)** | मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, संभल, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा एटा, कासगंज, बदायू, बरेली तथा पीलीभीत । |
| 4 | **चतुर्थ** | **दिनांक 29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)** | शाहजहाँपुर, खीरी, हरदोई, कानपुर नगर,सीतापुर,उन्नाव, फर्रूखाबाद, एटा, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कन्नौज, जालौन, झाँसी, ललितपुर, हमीरपुर, बाँदा तथा महोबा। **(विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 138-निघासन जनपद खीरी के अंतर्गत आता है।)** |
| 5 | **पंचम** | **दिनांक 06 मई, 2019 (सोमवार)** | खीरी, सीतापुर, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, बाँदा, चित्रकूट, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, बलरामपुर तथा गोण्डा। |
| 6 | **षष्ठम** | **दिनांक 12 मई, 2019 (रविवार)** | सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज अंबेडकरनगर, अयोध्या, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती,संतकबीरनगर, |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | गोरखपुर,आजमगढ़, जौनपुर,वाराणसी तथा भदोही। |
| **7** | **सप्तम** | **दिनांक 19 मई, 2019 (रविवार)** | महराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, मऊ, गाजीपुर, चन्दौली, वाराणसी, मिर्जापुर तथा सोनभद्र। |

**अनूप चन्द्र पाण्डेय**
मुख्य सचिव।

**संख्या- 4/2019/176 (1)/तीन-2019, तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्षों, मण्डलायुक्तों/जिलाधिकारियों/अन्य प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों तथा शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि उचित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार एतद्द्वारा उन्हें इस बात का प्राधिकार देती है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों, जिनकी ड्यूटी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 तथा 138-निघासन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र (जनपद खीरी) के उप निर्वाचन-2019 में लगायी गयी है, को उनके सामान्य कार्य से ऐसे समय मुक्त कर देें, जिससे उनकी राय में उक्त कर्मचारी अपने-अपने मतदान केन्द्रों पर पर्याप्त समय रहते पहुॅंच सके और वहाॅं अपने ठहरने के लिये आवश्यक प्रबन्ध कर सके। इस संबंध में विभागाध्यक्ष इत्यादि, जहाॅं आवश्यक हो, जिलाधिकारियों से परामर्श कर सकते हैं, जो निर्वाचन में काम करने वाले कर्मचारियों के आने-जाने के लिये समय सारणी तैयार करते है।

2- यदि कर्मचारीगण जो निर्वाचन अथवा मतदान के कार्यो में लगाये गये हो, निर्वाचन के दिनांक अथवा मतगणना के दिनांक जैसी भी स्थिति हो, के ठीक पश्चात के दिनों को समुचित कारण से कार्यालय में उपस्थित न हो तो उसकी अनुपस्थिति क्षमा कर दी जानी चाहिए।

आज्ञा से,
**जितेन्द्र कुमार**
प्रमुख सचिव।

**संख्या- 4/2019/176 (2)/तीन-2019, तद्दिनांक**

प्रतिलिपि हाई कोर्ट आॅफ जुडिकेचर, इलाहाबाद के रजिस्ट्रार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह मा0 उच्च न्यायालय से अपने अधीनस्थ न्यायालयों तथा कार्यालयों में उक्त निर्दिष्ट दिनांक को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने तथा अपने प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन कर्मचारियों, जो निर्वाचन के कार्यो पर लगाये जाये, को उपर्युक्त सामान्य सुविधायें देने की व्यवस्था करने के लिए निवेदन करें ।

आज्ञा से,
**जितेन्द्र कुमार**
प्रमुख सचिव।

**संख्या- 4/2019/176 (3)/तीन-2019, तद्दिनांक ।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्यो का विभाग, नई दिल्ली ।

3- सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।

4- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-479 /सी0ई0ओ0-2-29/4-2017, दिनांक 17 मार्च, 2019 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

5- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

6- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश ।

7- प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, प्रमुख सचिव, श्रम विभाग प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग एवं प्रमुख सचिव, ऊर्जा को क्रमशः शिक्षण संस्थान व्यापारिक/व्यावसायिक तथा औद्योगिक संस्थाओं आदि एवं नगर महापालिकाओं /निगमों/अन्य स्थानीय निकायों को इसी प्रकार के निर्देश भेजने हेतु प्रेषित।

8- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

9- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

10- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को इस अनुरोध के साथ कि वह कृपया इस विज्ञप्ति का आवश्यक प्रसार एवं प्रचार करा दें ।

11- संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति का उत्तर प्रदेश के असाधारण गजट में प्रकाशन कराकर उसकी 50 प्रतियां सामान्य प्रशासन अनुभाग को यथा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

12- उप महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, गोमती नगर, लखनऊ।

13- सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

**जितेन्द्र कुमार**

प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।